भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2580
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जिलों में फूड स्ट्रीट का विकास

2580. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और जिले-वार चिह्नित जिलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा स्थानीय खाद्य व्यवसायों की हाइजीन संबंधी विश्वसनीयता में सुधार करने, स्थानीय रोजगार, पर्यटन और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और
(घ) इस संबंध में फूड स्ट्रीट/जिले के अनुसार आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश भर में 100 स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट विकसित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य व्यवसायों और समुदाय के सदस्यों में सुरक्षित और स्वस्थ भोजन संबंधी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है, जिससे खाद्य जनित बीमारियों को कम किया जा सके और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार किया जा सके। इस योजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

(एनएचएम) के माध्यम से और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। अब तक, 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 45 जिलों/स्थानों की पहचान की है। यह विवरण अनुलग्नक-I पर हैं।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड हब के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानक प्रोटोकॉल में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इन पहलों में फूड हैंडलर्स का प्रशिक्षण, तृतीय पक्ष द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा और ईट राइट स्ट्रीट फूड हबों का प्रमाणन शामिल है। एफएसएसएआई को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश दिया गया है। एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 31 (1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना किसी भी खाद्य व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकेगा।

(घ): फूड स्ट्रीट को चालू करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर 100 ऐसे फूड स्ट्रीट को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रमुख परियोजना के रूप में प्रति फूड स्ट्रीट 1 करोड़ रु. की सहायता अनुदान राशि का प्रावधान किया है। यह अनुदान एनएचएम के तहत 60:40 या 90:10 के अनुपात में इस शर्त के साथ दिया जाएगा कि इन फूड स्ट्रीट्स की ब्रांडिंग एफएसएसएआई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

अनुलग्नक-1

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**फूड स्ट्रीट्स की संख्या (लक्ष्य)**	**स्थानों का नाम**
1.	छत्तीसगढ़	4	दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर
2.	**मध्य प्रदेश**	**4**	**भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर**
3.	राजस्थान	4	अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर
4.	लद्दाख	1	लेह
5.	ओडिशा	4	भुवनेश्वर (2), कटक, राउरकेला
6.	मिजोरम	1	आईजोल
7.	उत्तराखंड	4	देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर
8.	**उत्तर प्रदेश**	**4**	**वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या**
9.	आंध्र प्रदेश	4	ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम, विजयवाड़ा, तिरुपति और कडप्पा
10.	पश्चिम बंगाल	4	कोलकाता नगर निगम (1) मध्य कोलकाता में हुमायूं पैलेस, 2. डैकर्स लेन, 3. रसेल स्ट्रीट), 4. सिलीगुड़ी नगर निगम
11.	त्रिपुरा	1	अगरतला
12.	केरल	4	तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझीकोड
13.	जम्मू और कश्मीर	3	जम्मू, श्रीनगर, कठुआ
14.	गोवा	2	दक्षिण गोवा, उत्तरी गोवा
15.	अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर
	कुल	45	

******